भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3292 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्लस्टर

†3292. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में स्वीकृत पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्लस्टरों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं, उनके विकास हेतु आवंटित एवं जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमानित निवेश, अपेक्षित रोजगार अवसरों और इसमें शामिल प्रमुख हितधारकों सहित आंध्र प्रदेश में स्वीकृत पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्लस्टर का विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश के पत्तनों पर कंटेनर प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रमुख आगामी निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और मरम्मत क्लस्टरों में अपनी सुविधाएं स्थापित कर चुकी या स्थापित करने की योजना बना रही प्रमुख पोत निर्माण और मरम्मत कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र की वर्तमान परिचालन क्षमता, क्षेत्र में विद्यमान प्रमुख चुनौतियां तथा विचाराधीन नीतिगत पहलें या प्रोत्साहन क्या हैं?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री

(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ख): पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) के तहत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने संबंधित राज्य सरकार की संस्थाओं और संबंधित महापत्तन प्राधिकरण के बीच एमओपीएसडब्ल्यू के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहनों

(एसपीवी) द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के आधार पर आंध्र प्रदेश के दुर्गराजपट्टनम, गुजरात के कुच्छाडी और तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में ग्रीनफील्ड पोत निर्माण कलस्टरों के विकास हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। प्रारंभिक तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) के अनुसार प्रस्तावित कलस्टरों का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है। वर्तमान में इन परियोजनाओं के विकास हेतु कोई निधि आबंटित या जारी नहीं की गई है चूंकि, इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

दुगारजपट्टनम में पोत निर्माण क्लस्टर के लिए कुल अपेक्षित परियोजना लागत, प्रारंभिक टीईएफआर के अनुसार, 29,254 करोड़ रुपये है, जिसमें शिपयार्ड और पत्तन सुविधाओं, समुद्री अवसंरचना, सामान्य अवसंरचना, भूमि विकास, उपयोगिताओं और संबद्ध सुविधाओं में निवेश शामिल है।

इन सभी प्रस्तावित क्लस्टरों का अनुमानित निवेश और रोजगार सृजन क्षमता संबंधित एसपीवी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर है। प्रमुख हितधारकों में संबंधित एसपीवी और संभावित एंकर शिपयार्ड शामिल हैं।

(ग): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश के रामायपट्टनम पत्तन पर एक कंटेनर टर्मिनल का विकास कंटेनर हैंडलिंग क्षमता की वृद्धि और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने के लिए परिकल्पित एक प्रमुख आगामी निवेश है।

(घ): आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधाओं की स्थापना के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) और मेसर्स जे एम बक्शी मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ): आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र की वर्तमान प्रचालन क्षमता विशाखापत्तनम में एचएसएल में केंद्रित है, जिसमें 80,000 नियतभार (डीडब्ल्यूटी) क्षमता वाला एक कवर्ड बिल्डिंग डॉक, प्रत्येक 30,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाली दो स्लिपवे और 70,000 डीडब्ल्यूटी क्षमता वाला एक ड्राई डॉक जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, काकीनाडा में कई निजी शिपयार्ड हैं जो मुख्य रूप से तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए टग, बार्ज, मत्स्यन जलयानों, अपतटीय सहायता जलयानों और अन्य छोटे व्यावसायिक जलयानों के निर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं।

प्रमुख चुनौतियों में उच्च पूंजीगत निवेश की आवश्यकताएं, निकटवर्ती वाटरफ्रंट भूमि की उपलब्धता, सामान्य समुद्री अवसंरचना का विकास, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और एक सहायक अनुषंगी पारिस्थितिकी तंत्र का विकास शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान

करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश समुद्रीय नीति, 2024-29 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत पात्र परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके पोत निर्माण और पोत मरम्मत को फोकस क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत यार्ड भारत सरकार की पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना, समुद्रीय विकास निधि और पोत निर्माण विकास योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र हैं।

अनुबंध-1

क्लस्टर	**अनुमानित भू क्षेत्र**	**वाटरफ्रंट की लंबाई**
दुर्गराजपट्टनम, आंध्र प्रदेश	3,488 एकड़	2.1 कि.मी.
थूथुक्कुडी, तमिलनाडु	2,049 एकड़	2.4 कि.मी.
कुच्छाडी, गुजरात	2,290 एकड़	5 कि.मी.
